**विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अन्तर्गत वाद**

**(Suit u/sec. 34 of the Specific Relief Act, 1963)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् .. ..........

अ०ब०स० ............ वादी

बनाम

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

उपरोक्त नामांकित वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि इस वाद पत्र से संलग्न परिशिष्ट में वर्णित सम्पत्ति का वादी स्वामी व काबिज है। जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. यह कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक ............ को वादी को वादी के स्वामित्व को इन्कार करते हुएएक नोटिस तामील कराया गया है जिसमें उसे तीस दिनों के अन्दर (नोटिस तामील होने से) विवादित सम्पत्ति को प्रतिवादी को सौंपने को कहा गया है।
3. यह कि वादी वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति का स्वामी व काबिज होने के अधिकार के अन्तर्गत उसका निरन्तर उपयोग कर रहा है। वादी को स्वामित्व व कब्जा की घोषणा के अतिरिक्त अन्य अनुतोष की आवश्यकता नहीं है ।
4. यह कि वाद का कारण दिनाँक ............ को प्रतिवादी के नोटिस में वादी के स्वामित्व का इन्कार करने व कब्जा माँगने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। मान्य न्यायालय को वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार है।
5. यह कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार व न्याय शुल्क के उद्देश्य से वाद का मूल्यांकन ........... रु० पर किया जाता है और धोषणा के लिए अपेक्षित न्याय शुल्क भुगतान किया जाता है।

अत: प्रार्थना निम्न प्रकार है;

(क) वाद पत्र में संलग्न परिशिष्ट में वर्णित सम्पत्ति पर वादी का स्वामित्व तथा कब्जा, एवं स पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार घोषित करने की कृपा करें।

(ख) वादी को प्रतिवादी से वाद का व्यय भी दिलाने की कृपा करें।

परिशिष्ट संलग्न हैं।

**दिनांक ......**

**वादी ..........**

**द्वारा अधिवक्ता .....**

**सत्यापन**

मै की ............ वादी यह सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 व 2 का कथन मेरी नकारा में सत्य है तथा धारा 3 व 4 का कथन कानुनी सलाह पर आधारित है जो मर विश्वास है। कछ भी छिपाया नहीं गया है।

**स्थान ............ दिनांक ......**

**वादी ..........**

**शनाख्त अधिवक्ता.........**